बिहार सरकार

कृषि विभाग

संचिका संख्या–3 / कृ॰बजट–विविध–10 / 2017 2726 / कृ॰, पटना, दिनांक : 7/7/2017

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय :– **Comprehensive Treasury Management Information System के अंतर्गत e-payment की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3709 दिनांक–29.05.2017**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक संकल्प पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि RBI द्वारा की गई नयी व्यवस्था के आलोक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के लाभुकों एवं भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं की सरकारी खाते से निकासी की गई राशि e-payment के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में RBI द्वारा क्रेडिट कर दिया जायेगा।

RBI द्वारा की गई नयी व्यवस्था के आलोक में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा CTMIS में e-Payment module विकसित कर संस्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी भुगतान सीधे भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं के बैंक खाते में RBI द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। RBI Agency Bank का कार्य करेगा। e-Payment के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में किया गया भुगतान सरकारी राशि भुगतान का वैधानिक साक्ष्य माना जायेगा। e-Payment के माध्यम से भुगतान हेतु निर्गत e-Advice "मुख्य शीर्ष–8670–चेक्स एवं विपत्र" में अंतरित होगा। भुगतान सफल होने के साथ ही राशि 8670–मुख्य शीर्ष से डेबिट होगा। असफल भुगतान की राशि मुख्य शीर्ष–8658 में वापस जमा होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बैंक व्यौरा में सुधार करने के बाद कोषागार द्वारा पुनः भुगतान किया जायेगा। RBI द्वारा सफल एवं कारण सहित असफल भुगतान की सूची CTMIS में उपलब्ध करायी जायेगी। इस पर डीडीओ भी एक्सेस कर सकते हैं।

अतएव, अनुरोध है कि कृषि विभाग के योजनाओं से संबंधित राशि का विपत्र e-Payment के module में ही कोषागार में प्रस्तुत कराएँगें ताकि कोषागार के माध्यम से ही राशि लाभार्थियों के खाते में चला जाए। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी करके बैंक खाते में जमा नहीं कराएँगें।

विश्वासभाजन
(ह॰) 7.7.2017
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 2726 / कृ॰, पटना, दिनांक– 7/7/2017

प्रतिलिपि :– सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह॰) 7.7.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\Rajeev\J.S\Letterdocx.docx

ज्ञापांक : 2726 /कृ०, पटना, दिनांक- 7/7/2017

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

7.7.2017

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\Rajeev\J.S\Letterdocx.docx

संचिका सं०–को०प्र० / कम्प्यूटर–02 / 2017..3709.... / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक–...29/5/17...

विषयः– Comprehensive Treasury Management Information System के अंतर्गत e-Payment की व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑनलाइन भुगतान हेतु e-kuber Portal संस्थापित किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार से पारित विपत्र का e-Advice तैयार कर e-kuber पर अपलोड करने पर RBI द्वारा सीधे सभी प्राप्तकर्त्ताओं को उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा।

2. RBI द्वारा की गयी नयी व्यवस्था के आलोक में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा CTMIS में e-Payment module विकसित कर संस्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी भुगतान सीधे भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं के बैंक खाते में RBI द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। RBI Agency Bank का कार्य करेगा। e-Payment के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में किया गया भुगतान सरकारी राशि भुगतान का वैधानिक साक्ष्य माना जायेगा। e-Payment के माध्यम से भुगतान हेतु निर्गत e-Advice "मुख्य शीर्ष–8670 चेक्स एवं विपत्र" में अंतरित होगा। भुगतान सफल होने के साथ ही राशि 8670–मुख्य शीर्ष से डेबिट होगा। असफल भुगतान की राशि मुख्य शीर्ष 8658 में वापस जमा होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बैंक व्यौरा में सुधार करने के बाद कोषागार द्वारा पुनः भुगतान किया जायेगा। RBI द्वारा सफल एवं कारण सहित असफल भुगतान की सूची CTMIS में उपलब्ध करायी जायेगी। इसपर डीडीओ भी एक्सेस कर सकते हैं।

3. इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हैः–

(i) भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। राज्य सरकार के खाते से निकासी की गयी राशि सीधे लाभुकों को प्राप्त होगी, जिससे AC/DC विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) सरकारी राशि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बैंक खाते में संचित नहीं की जायेगी।

(iii) राज्य में Digital Payment को बढ़ावा मिलेगा।

(iv) RBI से e-Scroll सीधे सभी कोषागारों को ऑनलाइन प्राप्त होने से कोषागार का मासिक लेखा ससमय तैयार होगा तथा उसमें त्रुटि भी कम होगी।

(v) सफल एवं असफल भुगतान की सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को उपलब्ध होगी।

4. वित्त विभाग द्वारा प्रयोग के तौर पर वित्त विभाग का माह जनवरी, 2017 का भुगतान (फरवरी, 2017 में) e-Payment के माध्यम से किया गया है।

5. e-Payment एवं उसके लेखांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

(i) सरकार के द्वारा विभिन्न लाभुकों एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं को भुगतान किया जाता है जैसे सरकारी सेवक, पेंशनर, आपूर्तिकर्ता, वेन्डर, संवेदक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आम लाभुक यथा छात्र, सामीजिक सुरक्षा पेंशनर्स, किसान आदि। भुगतान करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास इनका नाम, पता, बैंक खाता ब्यौरा आदि उपलब्ध डाटाबेस तैयार किया गया है इसलिए उनको किया जानेवाला व्यक्तिगत भुगतान तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है। अन्य भुगतान प्राप्तकर्ता और लाभुकों का डाटाबेस तैयार करना होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन लाभुकों का डाटाबेस शीघ्र तैयार कर इसे Validate कर लेना होगा।

(ii) जिन विभागों के पास अपना डाटा बेस उपलब्ध है या होगा, उन्हें CTMIS/ CFMS से जोड़ा जायेगा ताकि CTMIS/CFMS में विपत्र तैयार करने के पूर्व विभागीय पोर्टल से लाभुकों की सूची प्राप्त हो पाय।

(iii) सरकारी स्कीमों के लाभुकों की सूची विभागीय डाटाबेस में तैयार करना, उसका समय–समय पर वैलिडेशन, संशोधन आदि कार्य संबंधित विभाग द्वारा कियाँ जायेगा। विभागीय पोर्टल से लाभुकों की सूची प्राप्त कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र बनायेंगे। डी.डी.ओ., यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोषागार को ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विपत्र एवं सूची तथा भौतिक रूप से प्रस्तुत विपत्र एवं सूची में कोई भिन्नता नहीं है। लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं की सूची के आधार पर किये गये प्रत्येक भुगतान के लिए संबंधित प्रशासी विभाग एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(iv) भुगतान प्राप्त करने वाले वेन्डरों/संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं की सूची ऑनलाइन CTMIS/CFMS में भी तैयार की जा सकती है। डीडीओ द्वारा विपत्र के साथ भुगतान पाने वाले का नाम, बैंक ब्यौरा, मोबाईल नंबर आदि की प्रविष्टि की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक विपत्र के साथ भुगतान प्राप्तकर्ता की सूची संलग्न होगी।

(v) डी०डी०ओ० द्वारा तैयार विपत्र एवं लाभुकों/प्राप्तकर्त्ताओं की सूची के साथ ऑनलाईन पूर्व की भाँति कोषागार में प्रेषित किया जायेगा। साथ ही विपत्र एवं भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं की सूची की भौतिक प्रतिकोषागार के काउन्टर पर प्रस्तुत की जायेगी, जहाँ CTMIS/CFMS से पूर्व की भाँति टोकन नंबर सृजित होगा। विपत्र स्वतः संबंधित लिपिक के लॉग–इन में अंतरित हो जायेगा।

(vi) कोषागार द्वारा विपत्र पूर्व के भाँति पारित किया जायेगा। पारित विपत्र का एडवाइस सिस्टम से सृजित होगा।

(vii) कोषागार पदाधिकारी द्वारा Payment Mandate/e-Advice तैयार किया जायेगा तथा भुगतान हेतु RBI के e-Kuber पर प्रेषित किया जायेगा। RBI के स्तर से सभी लाभुकों के बैंक खाते में यथासंभव T+1 दिन पर स्वतः भुगतान हो जायेगा।

(viii) भुगतान के बाद RBI द्वारा सफल एवं असफल भुगतान का e-Scroll संबंधित कोषागार को ऑनलाइन प्राप्त होगा।कोषागार का मासिक लेखा स्वतः तैयार होगा।

(ix) असफल भुगतान के मामले में डी०डी०ओ० द्वारा भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बैंक ब्यौरा संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित विपत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके आधार पर कोषागार द्वारा पुनः e-Payment हेतु e-Advice तैयार कर भुगतान किया जायेगा। यदि भुगतान दोबारा असफल होता है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत ड्राफ्ट से भी भुगतान किया जा सकता है।

(x) विपत्र पारित होने के साथ संबंधित सेवा शीर्ष से राशि लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8670 में अंतरित हो जायेगी। भुगतान के बाद 8670 से राशि डेबिट होगी। असफल भुगतान लोक लेखा उचंत मुख्यशीर्ष–8658 में अंतरित होगा। बैंक विवरणी में संशोधन के बाद Repayment of Deposit Bill के माध्यम से पुनः भुगतान किया जायेगा। यदि असफल भुगतान वाली राशि को निरस्त करना है तो उसे व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष में अंतरित कर दिया जायेगा।

6. भुगतान प्राप्तकर्ताओं/लाभुकों (सरकारी/संविदा कर्मी, सेवानिवृत्तकर्मी, संवेदक, आपूर्तिकर्ता, वेण्डर, परामर्शी, सरकारी स्कीम के लाभुक आदि) का बैंक खाता विवरणी की सत्यता का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। CTMIS/ CFMS किसी भी तरह से लाभुकों के बैंक खाता का सत्यापन नहीं करता है। प्रत्येक विभाग अपने से संबंधित लाभुकों की सूची सिस्टम में तैयार कर ले तथा उसका नियमित रूप से अपडेशन किया जाय।

7. RBI द्वारा कोषागारवार e-Scroll संबंधित कोषागार को ऑनलाइन प्राप्त होगा ।। कोषागार द्वारा मासिक लेखा तैयार कर महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।